भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1541

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

गैर लाइसेंस प्राप्त दुकानें

1541. श्री राम टहल चौधरीः
श्री प्रतापराव जाधवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पैदल पथ पर खाना बेचने वाली गैर लाईसेंस प्राप्त दुकानों/स्टॉलों का संज्ञान लिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गैर लाइसेंस प्राप्त दुकानों/स्टालों के उनके व्यापार से रोकने हेतु प्रावधानों का ब्यौरा क्या हैं;
(ग) इस मामले में तहबाजारी की भूमिका क्या है; और
(घ) सरकार की तहबाजारी नियमों के गैर-अनुपालन के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): जी, हां। स्थानीय निकाय निदेशालय (दिल्ली के सभी तीनों नगर निगमों से संबंधित नोडल विभाग) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में

.....2/-

फुटपाथ पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले गैर-लाइसेंसी दुकानों/ स्टॉल्स का संज्ञान लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में गली में खाद्य पदार्थ बेचने तथा खाद्य सुरक्षा के संबंध में अनेक दिशा-निर्देश जारी किए हैः-

(i) "रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन संगठन बनाम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं अन्य" नामक शीर्षक वाली रिट याचिका संख्या 6087/2012

(ii) 'सैंसर पाल सिंह बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम एवं अन्य' नामक शीर्षक वाली पीआईएल रिट याचिका संख्या 1139/2016

(iii) रिट याचिका (सिविल) संख्या 9284/2014; और

(iv) सी.एम.संख्या 8645/2014 में रिट याचिका (सिविल) संख्या 4303/2014

(ख): स्थानीय निकाय निदेशालय ने सूचित किया है कि गैर-लाइसेंसी दुकानों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा-461 के साथ पठित धारा-417 के अधीन कार्रवाई की जाती है, जिसके अंतर्गत 1,000 रु तक के जुर्माना का प्रावधान है। जहां तक स्टॉलों अथवा अन्य गैर-लाइसेंसी तहबाजारी धारकों का संबंध है उन्हें दिल्लीनगर निगम

अथवा अन्य गैर-लाइसेंसी तहबाजारी धारकों का संबंध है , उन्हें दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा-321/322 के अंतर्गत अतिक्रमण कारी के रूप में मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि उनकी स्वास्थ्य प्रवर्तन इकाई सुबह तथा शाम की पाली में नियमित रूप से रेड संचालित करती है और एनडीएमसी के क्षेत्र में फुटपाथों पर खाद्य सामग्री बेचने वाले अनधिकृत हॉकरों/ वेंडरों को वहां से हटाती है।

(ग): 'दी स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014' को प्राख्यापित किया गया है, जो दिल्ली के क्षेत्र के भीतर इस प्रकार के सभी मामलों और यहां संचालित किए जा रहे तहबाजारी से निपटती है। इस अधिनियम के अधिदेश के अनुसार टाउन वेंडिंग समिति का गठन किया जाना अभी बाकी है और दिल्ली के क्षेत्र में संचालित होने वाले सभी तहबाजारी का विनियमन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि प्रवर्तन विभाग द्वारा तहबाजारी के अंतर्गत लाइसेंसी व्यापार के संचालित करने के लिए आमतौर पर इस प्रकार की मंजूरी नहीं दी जाती है।

(घ): 'दी स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014' लागू हो चुका है और तहबाजारी धारकों के विरुद्ध इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) का प्रवर्तन विभाग, की नजर में जब कभी भी इस प्रकार का कोई भी उल्लंघन आता है, वह इस संबंध में कार्रवाई करता है।

*****